



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275501
CG-DL-E-17082026-275501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4334]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4514(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2476(E) तारीख 13/05/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 [भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) - विदिशा (मोरीकोडी) खण्ड] के कि.मी. 0.800 से कि.मी. 1.000 एवं कि.मी. 1.900 से कि.मी. 4.200 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24/05/2026 को “दैनिक भास्कर” और “फ्री-प्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 [भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) - विदिशा (मोरीकोडी) खण्ड] के कि.मी. 0.800 से कि.मी. 1.000 एवं कि.मी. 1.900 से कि.मी. 4.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: भोपाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: एमपी नगर					
गांव का नाम: खजूरी खुर्द					
1	3/7/2/1	निजी	व्यवसायिक	0.0081	श्री तरुण नायक पिता तेजराम नायक
2	3/7/2/2	निजी	सिंचित	0.0061	छगनलाल पुत्र पूरनचन्द्र
3	3/7/2/3	निजी	व्यवसायिक	0.0106	श्री धर्मेन्द्र नायक पिता ताराचन्द्र नायक
गांव का नाम: खजूरी कलां					
4	2/1	निजी	व्यवसायिक	0.0161	गोपाल प्रकाश पिता सुमत प्रकाश हरी प्रकाश पिता सुमत प्रकाश
5	2/2	निजी	व्यवसायिक	0.0226	ओमेगा इंडस्ट्रीज प्रालि संचालक श्री हरीप्रकाश पिता सुमत प्रकाश
6	2/3	निजी	व्यवसायिक	0.0382	सुशील प्रकाश पिता सुमत प्रकाश
Total				0.1017	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4514(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 2476(E) Dated: 13/05/2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 146 [Bhopal (Ratnagiri Tiraha) - Vidisha (Morikodi) section] in the stretch of land from Km. 0.800 to Km. 1.000 and Km. 1.900 to Km. 4.200 in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in news paper "Dainik Bhaskar" and (Free Press" both dated 24.05.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections under Section 3-C;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No. 146 [Bhopal (Ratnagiri Tiraha) - Vidisha (Morikodi) section] in the stretch of land from Km. 0.800 to Km. 1.000 and Km. 1.900 to Km. 4.200 in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: BHOPAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: M P Nagar					
Village: Khajuri Khurd					
1	3/7/2/1	Private	Commercial	0.0081	Mr Tarun Nayak So Tejram Nayak
2	3/7/2/2	Private	Irrigated	0.0061	Chhaganlal So Pooranchand
3	3/7/2/3	Private	Commercial	0.0106	Shri Dharmendra Nayak So Tarachandra Nayak
Village: Khajuri Kalan					
4	2/1	Private	Commercial	0.0161	Gopal Prakash So Sumat Prakash Hari Prakash So Sumat Prakash

5	2/2	Private	Commercial	0.0226	Omega Industries Pvt Ltd Proprietor Shri Hari Prakash SO Sumat Prakash
6	2/3	Private	Commercial	0.0382	Sushil Prakash So Sumat Prakash
Total				0.1017	

[F. No. NHAI/BPL;SAG/LA/41010/2020/3a/3D1]

SHAIKH AMINKHAN, Director